योजना का सार

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का भावी प्रयोग

संदर्भ

- भारत की कार्यशील आयु वाली आबादी (15 वर्ष से 64 वर्ष की आयु के बीच) का हिस्सा वर्ष 2011 में 59% से बढ़कर वर्ष 2021 में 63% हो गया और अगले 15 वर्षों में इसके स्थिर रहने की उम्मीद है।
- घरेलू अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भारत की चुनौती अगले 23 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को छह गुना बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रोज़गार की लगभग सार्वभौमिक परिभाषा 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) या 'हफ्ते में कम-से-कम 1 घंटा काम' है।
- दूसरी परिभाषा शायद भारत के लिए अनूठी हो। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए 'सामान्य स्थिति' रोज़गार का ज़्यादा उपयुक्त संकेतक है जहाँ कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा कृषि में संलग्न है। इसका सीधा-सा कारण यह है कि कार्य का वृहद क्षेत्र कृषि रोज़गार की मौसम-विशिष्ट प्रकृति को बेहतर ढंग से दर्शाता है।

भारत संबंधी डाटा

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकत्र किए गए डाटा का अनुमान है कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक 8 करोड़ (80 मिलियन) से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित हुए। यह औसतन प्रतिवर्ष 2 करोड़ (20 मिलियन) से अधिक है। जुलाई 2023-जून 2024 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 60.1% थी।

- इसी तरह, सामान्य स्थिति में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) जुलाई 2022-जून 2023 के दौरान 56% से बढ़कर जुलाई 2023-जून 2024 के दौरान 58.2% हो गया है।

संरचनात्मक आयाम

- भारत में औद्योगीकरण की शुरुआत धीमी रही है और इसलिए पारंपरिक व्यवसायों से अन्यत्र श्रमिकों के संलग्न होने की दर धीमी रही है। 1980 के दशक के बाद गैर-कृषि गतिविधियों के विस्तार ने गति पकड़ी। इससे सकल घरेलू उत्पाद में तेज़ी आई।
- अधिकांश आर्थिक मॉडलों में, वास्तविक मज़दूरी श्रम उत्पादकता से जुड़ी होती है। इसका यह अर्थ है कि वहीं काम कर रहे लोगों द्वारा इसे कम किया जा सकता है। बढ़ती श्रम उत्पादकता आम तौर पर दोनों को दर्शाती है। इसे अर्थशास्त्री बेहतर मानव पूंजी (बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर कौशल, साथ ही बेहतर कार्य व्यवहार) और प्रौद्योगिकी कहते हैं। भारत को बढ़ती आय और अधिक रोज़गार दोनों का लक्ष्य रखना चाहिए।

श्रम उत्पादकता का रिकॉर्ड

- उत्पादकता और आर्थिक विकास दो सहवर्ती कारक हैं। भारत का दीर्घकालिक उत्पादकता रिकॉर्ड अच्छा है। उत्पादन वृद्धि का एक अच्छा हिस्सा आदर्श रूप से उत्पादकता में वृद्धि के कारण होना चाहिए। इसलिए, रोज़गार वृद्धि को उत्पादन वृद्धि के साथ तालमेल रखने की आवश्यकता नहीं है और न ही होनी चाहिए। इसलिए, विकास में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।

मुद्दा आधारित क्षेत्र

- कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी वर्ष 2023 में 45.8% से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2047 में एक-चौथाई रह जाने के साथ, यह अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में औसतन लगभग 8 मिलियन रोज़गार के अवसर सृजित करने की आवश्यकता है।

महिलाएँ और युवा

- भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर एक सकारात्मक संरचनात्मक बदलाव की पुष्टि करती है। महिला कार्यबल भागीदारी (FWFP) दर में वर्ष 2019 में 24.5% से वर्ष 2023 में 37.0% तक की वृद्धि काफी महत्त्वपूर्ण है, भले ही यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में हो, जिसमें स्वयं के खाते और अवैतनिक पारिवारिक कार्य शामिल हैं।
- श्रम बाज़ार में नए प्रवेशकों के आयु वर्ग के लिए, बेरोज़गारी दर वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2022-23 में 10% हो गई है। रोज़गार क्षेत्र में पहली बार प्रवेश करने वालों के बीच बेरोज़गारी के आँकड़े एक बड़ी चिंता का विषय हैं। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में राज्यों में बेरोज़गारी की दर में भारी गिरावट आशाजनक प्रवृत्ति दिखाती है।

युवाओं और महिलाओं के मुद्दे पर बजट में प्रावधान

- रोज़गार प्रोत्साहन और कौशल विकास वर्तमान केंद्रीय बजट के मूल में हैं। रोज़गार सृजन के लिए तीन योजनाएँ पैकेज का हिस्सा हैं। इसमें पहली बार नए प्रवेशकों के लिए मज़दूरी सब्सिडी शामिल है।

- महिलाओं के नेतृत्व में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने और महिला श्रम शक्ति की भागीदारी में सुधार करने के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना, क्रेच की स्थापना, महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम आयोजित करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले एसएचजी/उद्यमों के लिए बाज़ार पहुँच को बढ़ावा देने सहित कई प्रमुख पहलों को बजट में शामिल किया गया है।

फर्मों का छोटा होना

- भारतीय फर्म रोज़गार के मामले में छोटी होती हैं, धीमी गति से बढ़ती हैं। इतना ही नहीं, यह न केवल औद्योगिक पश्चिम, बल्कि चीन एवं मैक्सिको जैसी अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की फर्मों की तुलना में कम उत्पादक होती हैं। भारत में फर्मों का छोटा आकार और उनसे जुड़ी कम उत्पादकता उनके श्रमिकों की मांग को सीमित करती है।
- इन पहलों को आगे बढ़ाने या लाभकारी रचनात्मक विनाश के लिए लक्षित दृष्टिकोण के साथ-साथ एम.एस.एम.ई. के प्रसार को बढ़ावा देना आवश्यक है। नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015-16 में भारत में 63.4 मिलियन असंगठित गैर-कृषि एम.एस.एम.ई. थे। इन उद्यमों का एक बड़ा हिस्सा, 99% से अधिक सूक्ष्म इकाइयाँ हैं।

औपचारिकीकरण

- समय के साथ रोज़गार में सुधार के बावजूद रोज़गार की स्थिति काफी हद तक अनौपचारिक एवं निम्न उत्पादकता वाली बनी हुई है। 90% से अधिक रोज़गार अनौपचारिक हैं और 83% अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। यह वर्ष 2000 में 90% के करीब था।

- रोज़गार प्रतिरूप का झुकाव अभी भी कृषि की ओर है जिसमें लगभग 46.6% श्रमिक कार्यरत हैं (वर्ष 2019 में 42.4% की तुलना में)। इसके लिए गैर-कृषि रोज़गार के सृजन में तेज़ी लाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है।

राज्यों की भूमिका

- श्रम एवं रोज़गार एक राज्य स्तरीय मुद्दा है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की दरों में अंतर के कारण आर्थिक विकास की प्रकृति एवं भविष्य की संभावना भारत के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होगी।
- उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में रोज़गार के इच्छुक लोगों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने वाले नए अवसर सृजित करना एक गंभीर नीतिगत चुनौती भी है। साथ ही, केरल एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए श्रम-प्रधान क्षेत्रों के आधार पर भविष्य के विकास की सीमाएँ हैं, जिनकी आबादी वृद्ध होती जा रही है। यहाँ राज्यों को अनुकूल नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन और विकसित भारत@2047

संदर्भ

- भारत दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाले देशों में से एक होने के कारण जलवायु परिवर्तन में योगदान देने और उससे निपटने में सबसे आगे रहा है। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के जटिल सरोकारों से निपटने के लिए अपने नीतिगत ढाँचे को विस्तृत किया है। साथ ही, यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक विकास समावेशी एवं टिकाऊ हों।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य और भारत की उपलब्धियाँ

- वर्ष 2015 में अपनाए गए भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के अनुसार देश ने वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 33 से 35% तक कम करने और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों से लगभग 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये दोनों उद्देश्य समय सीमा से बहुत पहले ही पूरे हो गए हैं।
- भारत ने जलवायु परिवर्तन से संबद्ध सौर ऊर्जा उत्पादन में पर्याप्त प्रगति हासिल की है। वर्ष 2023-24 में 15.03 गीगावॉट के उत्पादन के साथ 30 अप्रैल, 2024 तक कुल सौर ऊर्जा उत्पादन 82.64 गीगावॉट तक पहुँच गया। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में जलवायु लचीलापन, कार्बन पृथक्करण एवं संधारणीयता में सुधार पर केंद्रित कई महत्त्वपूर्ण पहलों को क्रियान्वित किया गया।

पी.एम. सूर्य घर योजना

- 'पी.एम. सूर्य घर योजना' को मुफ्त बिजली योजना कहा जाता है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को किया। इसका कुल बजट 75,021 करोड़ रुपए है। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में एक करोड़ आवासीय घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जा सके।
- इससे परिवार के बिजली पर आने वाले व्यय को कम करने और उन्हें अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करने तथा ग्रिड को वापस बेचने की सुविधा देकर संधारणीय ऊर्जा पद्धतियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

- यह कार्यक्रम परिवारों को पंजीकरण करने, अधिकृत विक्रेताओं को चुनने और सौर प्रणाली तंत्र के आकार एवं अपेक्षित बचत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्लेटफॉर्म प्रदान करके सौर तंत्र स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाता है।
- यह पहल आदर्श सौर ग्राम की स्थापना करके और सौर प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों सहित स्थानीय अधिकारियों को प्रोत्साहित करके ग्रामीण क्षेत्रों में इसको अपनाने पर ज़ोर देती है।
- इस प्रयास का उद्देश्य सौर क्षमता को 30 गीगावॉट तक बढ़ाना है। इससे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जाएगा जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता हासिल करना है।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड : जलवायु से संबंधित क्रियाकलापों का वित्तपोषण

- भारत ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करके पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ गतिविधियों को वित्तपोषित करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। सरकार पर्यावरण संवर्धन परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए 'ग्रीन बॉन्ड' नामक ऋण उपकरण जारी करती है। भारत ने वर्ष 2024 में जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड की शुरुआती किश्त से 8,000 करोड़ रुपए हासिल किए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पहलों को वित्तपोषित करने के लिए 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है जो जलवायु की प्रतिरोधी क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क वित्तपोषण के लिए आवश्यक क्षेत्रों को रेखांकित करता है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, बायोमास), जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और प्रदूषण शमन शामिल हैं। भारत द्वारा ग्रीन बॉन्ड

को अपनाना एक रणनीतिक वित्तीय पहल और पेरिस समझौते तथा कॉप 26 जैसे वैश्विक जलवायु सम्मेलनों में स्थापित दायित्वों के पालन का एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत, दोनों है।

गोबरधन पहल : मवेशियों से नकद लाभ

- सरकार की गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना का उद्देश्य 2023-24 के बजट में घोषित 500 नई बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से कचरे को धन में बदलना है। ये संयंत्र बड़े पैमाने पर मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक कचरे को बायोगैस में बदल देंगे जो एक हरित ऊर्जा स्रोत है।
- यह योजना भारत के वृहत् उद्देश्य से मेल खाती है जिसमें एक चक्रीय अर्थव्यवस्था प्राप्त करना और जीवाश्म संसाधनों पर निर्भरता कम करना शामिल है। गोबरधन ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करके और जैविक खाद एवं जैव उर्वरकों सहित जैव-उत्पादों व उप-उत्पादों के व्यावसायीकरण के माध्यम से आर्थिक अवसर उत्पन्न करके स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देता है।

महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन : खनिजों को प्राथमिकता

- भारत ने वर्ष 2024-25 के बजट के तहत एक महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया है जिसका लक्ष्य स्थानीय उत्पादन को बढ़ाना और तांबा एवं लिथियम जैसे आवश्यक खनिजों का पुनर्चक्रण करना है। ये खनिज रक्षा, कृषि, ऊर्जा, औषधि और दूरसंचार जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक हैं।
- मिशन का महत्त्व घरेलू उत्पादन व पुनर्चक्रण को बढ़ाने, आवश्यक खनिजों को चिह्नित करने, आयात निर्भरता को कम करने, अन्वेषण में तेजी लाने, बाहर से खनिज प्राप्त करने, संसाधन दक्षता को अनुकूलित करने, खनिजों को पुनर्चक्रित करने और उचित अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से विकल्पों की खोज करने में निहित है।

तटीय आवास एवं मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी)

- जून 2023 में आरंभ की गई तटीय आवास एवं मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) एक व्यापक परियोजना है जिसे भारत के सभी तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पुनर्वनीकरण व संरक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्बन को सोखने और तूफानों व समुद्र के बढ़ते स्तर के खिलाफ प्राकृतिक अवरोधक के रूप में जलवायु परिवर्तन से निपटने में मैंग्रोव आवश्यक हैं।
- अपने पर्यावरणीय लाभों के अलावा मिष्टी का एक सामाजिक-आर्थिक पहलू भी है। इस पहल के तहत इकोटूरिज्म, संधारणीय मत्स्य पालन और विभिन्न मैंग्रोव-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर तटीय लोगों की आजीविका सुरक्षा में सुधार वांछित है। प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में उनमें महत्त्वपूर्ण उत्पादकता और कार्बन अवशोषण क्षमताएँ हैं। यह पहल वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने और 26 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्वास करने के भारत के उद्देश्य से मेल खाती है।

अमृत धरोहर : आर्द्रभूमि के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला

- अमृत धरोहर योजना को केंद्रीय बजट 2023-24 में पूरे देश में आर्द्रभूमि की जैव विविधता में सुधार लाने के लिए आर्द्रभूमि के उपयोग को अधिकतम करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।
- आर्द्रभूमि के सर्वोत्तम संभव उपयोग को बढ़ावा देने और जैव विविधता, कार्बन भंडारण, इकोटूरिज्म संभावनाओं एवं स्थानीय समुदाय के आय सृजन में सुधार करने के लिए 2023-24 से शुरू होने वाले अगले तीन वर्षों के दौरान इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा।
- अमृत धरोहर इकोटूरिज़्म को बढ़ावा देकर और स्थानीय समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका का सृजन करके कार्बन अवशोषण एवं जैव-विविधता दोनों के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र, आर्द्रभूमि को बहाल करने तथा सुरक्षित रखने का प्रयास करता है।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम : वनीकरण को प्रोत्साहन

- वर्ष 2023 में शुरू किया गया भारत का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव रणनीति है। पर्यावरण मंत्रालय ने अप्रैल 2024 में जी.सी.पी. के लिए संशोधित अनुशंसाएं जारी कीं। नए नियम वनीकरण के माध्यम से पारितंत्र की बहाली पर ज़ोर देते हैं। यह पहल लोगों, उद्योगों एवं समुदायों द्वारा क्षरित वनभूमि पर वृक्ष लगाने को बढ़ावा देती है जिससे बाज़ार विनिमय के लिए ग्रीन क्रेडिट अर्जित होता है।
- यह कार्यक्रम वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की व्यापक रणनीति का अभिन्न अंग है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वनावरण बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से वनीकरण को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP) और प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) आगे की पहल हैं जो जी.सी.पी. को बढ़ाती हैं।

सौर पार्क योजना

- वर्ष 2014 में शुरू की गई सौर पार्क योजना को वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में सौर पार्क बनाना है, जिससे भारत को 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह योजना सरकारों द्वारा अक्षय ऊर्जा अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करती है और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को जुटाती है।

इकोमार्क योजना

- 26 सितंबर, 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इकोमार्क नियम 2024 अधिसूचित किए। वर्ष 1991 की इकोमार्क योजना को नए नियमों के साथ लाया गया है। भारत सरकार ने पर्यावरण के लिए लाभकारी वस्तुओं को लेबल करने के लिए इकोमार्क योजना शुरू की। इस योजना का प्रबंधन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा किया जा रहा है।
- इसमें साबुन एवं डिटर्जेंट, पेंट, खाद्य पदार्थ, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकेजिंग सामग्री, आर्किटेक्चरल पेंट, पाउडर कोटिंग, बैटरी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य योजक, लकड़ी के विकल्प, सौंदर्य प्रसाधन, एरोसोल व प्रोपेलेंट, प्लास्टिक उत्पाद, वस्त्र, अग्निशामक, चमड़ा तथा कॉयर उत्पाद सहित कई उत्पाद श्रेणियाँ शामिल हैं।
- **इस योजना के क्रियान्वयन में बी.आई.एस. निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है-**

लाइसेंस का नवीनीकरण

- निलंबन एवं निरस्तीकरण तथा निरीक्षण करना
- किसी भी सामग्री या पदार्थ के विश्लेषण के लिए नमूने लेना जिसके संबंध में इकोमार्क का उपयोग किया गया है।
- बी.आई.एस. ने इस सिस्टम को लागू करने के लिए प्रासंगिक भारतीय मानकों में से इकोमार्क के लिए अतिरिक्त मानकों को अपनाया। लाइसेंस के संचालन को विनियमित करने वाले नियम एवं शर्तें, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अधीन होनी चाहिए। साथ ही, इसके तहत स्थापित संबंधित नियम एवं विनियम के भी अधीन होने चाहिए।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर, 2024 को परम रुद्र सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया जो भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता की खोज में एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा निर्मित यह अत्याधुनिक कंप्यूटर देश की हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग क्षमता को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। यह उद्यम इंडस्ट्री 4.0 में भारत की सफलता की आधारशिला है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

- अलग-अलग सरोकार होने के बावजूद वायु प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन आपस में गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। जनवरी 2019 में भारत सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर यानी कणिका तत्व (PM 10 एवं PM 2.5) के स्तर को 20-30% तक कम करना है जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के तहत गैर-प्राप्ति क्षेत्रों के रूप में घोषित 132 शहरों पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC): एक समग्र दृष्टिकोण

- वर्ष 2008 में शुरू की गई राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC)] जलवायु परिवर्तन से संबद्ध मुद्दों के निवारण के लिए भारत का मौलिक दृष्टिकोण है। एन.ए.पी.सी.सी. जलवायु परिवर्तन के प्रति समुदायों एवं पारितंत्र की संवेदनशीलता को कम करने के लिए शमन व अनुकूलन उपायों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। एन.ए.पी.सी.सी. के तहत प्रमुख मिशनों में शामिल हैं :

- **राष्ट्रीय सौर मिशन:** वर्ष 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ सौर ऊर्जा विकास को बढ़ावा देता है।
- **राष्ट्रीय जल मिशन:** जल संरक्षण, प्रबंधन एवं जल संसाधनों के कुशल उपयोग पर केंद्रित है क्योंकि इसका मानना है कि जलवायु परिवर्तन से जल की कमी में वृद्धि होगी।
- **राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन:** जल-दक्ष सिंचाई, फसल विविधीकरण और मृदा प्रबंधन पद्धतियों जैसी अनुकूलनीय तकनीकों को बढ़ावा देकर कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाने का प्रयास करता है।
- **हरित भारत मिशन:** वनीकरण एवं पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना, वनों और गैर-वन क्षेत्रों में कार्बन पृथक्करण क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
- एन.ए.पी.सी.सी. राष्ट्रीय सतत् आवास मिशन के माध्यम से शहरी अनुकूलन पर ज़ोर देता है और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाता है।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

- दिसंबर 2022 में पारित ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 ऊर्जा दक्षता एवं डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में भारत के विधायी प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में यह संशोधन गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव के प्रयास को गति देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- यह प्रणाली व्यवसायों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके निम्न कार्बन उत्सर्जन कार्य पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उद्योग निर्धारित सीमा से नीचे उत्सर्जन को कम करके कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं और ये क्रेडिट उन कंपनियों को बेचे जा सकते हैं जो अपनी

उत्सर्जन सीमा को पार करती हैं। पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) कार्बन तीव्रता को कम करने के महत्त्व को उजागर करते हैं और यह विधेयक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक आवश्यक साधन है।

वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो के लिए दीर्घकालिक रणनीति

- कॉप-27 (मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढाँचा अभिसमय (UNFCCC) के पक्षकारों का 27वाँ सम्मेलन) में भारत ने अपनी दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति (LT-LEDS) प्रस्तुत की है जो वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए देश के रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। भारत के एल.टी.-एल.ई.डी.एस. में ऐसे प्रमुख रणनीतिक बदलाव शामिल हैं, जैसे-
  - विद्युत प्रणालियों का निम्न कार्बन विकास
  - कुशल, समावेशी निम्न कार्बन परिवहन प्रणाली
  - शहरी अनुकूलन एवं टिकाऊ शहरीकरण
  - वन एवं वनस्पति आवरण को बढ़ाना
  - कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की प्रौद्योगिकी